



पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 24.09.2020

1-थाना बिसरख पुलिस द्वारा एक वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक कार सैन्ट्रो बरामद :

दिनांक 23.9.2020 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा एक वाहन चोर अभियुक्त राजा बाबू पुत्र विजयपाल नि० खुर्रमपुर भम्हौरी थाना बजीरगंज जिला बदायूं वर्तमान पता ऐमनाबाद बेगराज के मकान थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर को अरिहन्त अम्बर चौराहा थाना क्षेत्र बिसरख से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक कार सैन्ट्रो बिना नम्बर चैसिस MALAB51HR3M353488 , इंजन न० -G4HD3C31804 के साथ गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मु०अ०स०- 600/2020 धारा 414 भादवि पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

राजा बाबू पुत्र विजयपाल नि० खुर्रमपुर भम्हौरी थाना बजीरगंज जिला बदायूं वर्तमान पता ऐमनाबाद बेगराज के मकान थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1.मु०अ०सं० 600/2020 धारा 414 भादवि थाना बिसरख गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

एक कार गाडी सैन्ट्रो बिना नम्बर चैसिस न० MALAB51HR3M353488 , इंजन न० -G4HD3C31804



2-थाना दादरी पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूट के 2310 रूपये,मोबाइल फोन, चोरी की मोटर साइकिल व अवैध शस्त्र बरामद :

दिनांक 23.09.2020 को थाना दादरी पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 1.नूतन उर्फ नगेन्द्र भाटी पुत्र जिले भाटी निवासी ग्राम रामपुर फतेहपुर थाना दादरी गौतमबुद्धनगर 2.नीरज कसाना उर्फ तमिलनाडु पुत्र धर्मवीर निवासी रामपुर फतेहपुर थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को ग्राम मायचा पेरिफेरल अंडरपास से मय एक मोटर साइकिल पैशन न0 एचआर 51 एन 7925 रंग नीला सिल्वर जो दिल्ली से चुराई गयी है के साथ गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण नूतन उर्फ नगेन्द्र भाटी व नीरज कसाना उर्फ तमिलनाडु उपरोक्त से मु0अ0स0 614/2020 धारा 394/411 भादवि से सम्बन्धित लूट के 1310 रूपये व 01 तमंचा देशी 315 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 315 बोर व अभियुक्त नीरज कसाना उर्फ तमिलनाडु उपरोक्त से 1100 रूपये लूट के व 01 चाकू, मोबाइल फोन बरामद किये गये है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. नूतन उर्फ नगेन्द्र भाटी पुत्र जिले भाटी निवासी ग्राम रामपुर फतेहपुर थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
2. नीरज कसाना उर्फ तमिलनाडु निवासी रामपुर फतेहपुर थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

आपराधिक इतिहास का विवरण-

- 1.मु0अ0स0 614/2020 धारा 394/411 भादवि0 थाना दादरी गौतमबुद्धनगर
- 2.मु0अ0स0 632/2020 धारा 414 भादवि0 थाना दादरी गौतमबुद्ध नगर
- 3.मु0अ0स0 634/2020 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना दादरी गौतमबुद्ध नगर

बरामदगी का विवरण -

1. अभियुक्त नूतन उर्फ नगेन्द्र भाटी व नीरज कसाना उर्फ तमिलनाडु उपरोक्त से मु0अ0स0 614/2020 धारा 394/411 भादवि0 से सम्बन्धित 1310 रूपये व 01 तमंचा देशी 315 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 315 बोर
2. अभियुक्त नीरज कसाना उर्फ तमिलनाडु उपरोक्त से 1100 रूपये लूट के व 01 चाकू, मोबाइल फोन
3. दोनो अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की मो0सा0 पैशन न0 एचआर 51 एन 7925 ।



3-थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के उपरान्त 05 शातिर लूटेरे अभियुक्त गिरफ्तार,कब्जे से लूटी गयी कार, लूटे गये मोबाइल फोन व अवैध शस्त्र बरामद।

दिनांक 23.09.2020 को थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा अभियुक्त 1. आशीष पुत्र स्व0 राजेश सिंह उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम सोहंदा थाना खुर्जा जिला बुलन्दशहर 2. सुमित पुत्र विनोद उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम काबड़ौत थाना शामली जिला शामली 3. राहुल पुत्र वेदपाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम नरसैना थाना नरसैना जिला बुलन्द शहर 4. महेश प्रताप पुत्र सूरज प्रताप उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम भगवन्तपुर थाना आहार जिला बुलन्द शहर 5. इमरान पुत्र सगीर निवासी ग्राम सरावा दादूपुर थाना खुर्जा देहात जिला बुलन्द शहर को तिरथली बार्डर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक स्विफ्ट कार रजि0 न0 यूपी 13 एबी 7724 जिसका चेसिस न0 MA3EJKD1S00B28742 व इंजन न0 K12MN2120988 है जो थाना बीटा 2, गौतमबुद्धनगर क्षेत्र से लूटी गयी है जिसके सम्बन्ध में थाना बीटा 2 पर मु0अ0सं0 42/2020 धारा 392 भादवि में पंजीकृत है व 05 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी के व 02 तमंचे 315 बोर मय 02 खोखा कार0 व 04 जिन्दा कारतूस तथा एक अवैध चाकू बरामद किये गये है।

उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 29.08.2020 की सुबह संदीप शर्मा अपने ड्राइवर नरेश कुमार पुत्र रनवीर सिंह निवासी उदयपुर अलीगढ़ जो अपनी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर से किसी काम से आगरा जा रहे थे ,फलैदा कट के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर एक स्विफ्ट डिजायर कार में सवार 04 बदमाशों द्वारा तमन्चा दिखा कर संदीप शर्मा व उसके ड्राइवर से एक मोबाईल विवो कम्पनी तथा एक मोबाइल ओप्पो कम्पनी का छीन लिये थे इनके विरूद्ध थाना रबूपुरा पर मु0अ0स0 174/2020 धारा 392 भादवि पंजीकृत है। चारों को बाद पुलिस मुठभेड के हिरासत में लिया गया तथा पूछताछ के दौरान अभियुक्त गणों ने बताया कि उक्त मोबाइल फोन को इमरान पुत्र सगीर को बेच दिया करते थे इनकी निशादेही पर अभियुक्त इमरान से वो फोन बरामद किये गये है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण व अपराधिक इतिहास-

आशीष पुत्र स्व0 राजेश सिंह उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम सोहंदा थाना खुर्जा जिला बुलन्दशहर

- 1.मु0अ0स0 174/20 धारा 392 भादवि कोतवाली रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0स0 175/20 धारा 307, 411, 414, 482 भादवि कोतवाली रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0स0 176/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 कोतवाली रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0सं0 42/2020 धारा 392 भादवि बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

सुमित पुत्र विनोद उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम काबडौत थाना शामली जिला शामली

- 1.मु0अ0स0 174/20 धारा 392 भादवि कोतवाली रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0स0 175/20 धारा 307, 411, 414, 482 भादवि कोतवाली रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0स0 177/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 कोतवाली रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।
- 4.मु0अ0स0 237/20 धारा 379. 411 भादवि कोतवाली शामली।
- 5.मु0अ0स0 312/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 कोतवाली शामली।
- 6.मु0अ0सं0 42/2020 धारा 392 भादवि बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

राहुल पुत्र वेदपाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम नरसैना थाना नरसैना जिला बुलन्दशहर

- 1.मु0अ0स0 174/20 धारा 392 भादवि कोतवाली रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0स0 175/20 धारा 307, 411, 414, 482 भादवि कोतवाली रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0स0 178/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 कोतवाली रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।

महेश प्रताप पुत्र सूरज प्रताप उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम भगवन्तपुर थाना आहार जिला बुलन्दशहर ।

1.मु0अ0स0 174/20 धारा 392 भादवि कोतवाली रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0स0 175/20 धारा 307, 411, 414, 482 भादवि कोतवाली रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।

इमरान पुत्र सगीर निवासी ग्राम सरावा दादूपुर थाना खुर्जा देहात जिला बुलन्दशहर

1.मु0अ0स0 175/20 धारा 307, 411, 414, 482 भादवि कोतवाली रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1.एक कार स्विफ्ट रजि0 न0 यूपी 13 एबी 7724

2.05 मोबाइल विभिन्न कम्पनी के।

3.02 तमंचे 315 बोर मय 02 खोखा कार0 व 04 जिन्दा कार0

4.एक अवैध चाकू

4- थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा एक लूटेरा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन व

एक अवैध चाकू बरामद :

दिनांक 24.09.20 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा एक लूटेरा अभियुक्त ललित पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी गांव जैतपुर थाना ककोड जिला बुलन्दशहर को चौहान मार्किट का टी प्वांट थाना सूरजपुर क्षेत्र गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन व एक अवैध चाकू बरामद।

अभियुक्त द्वारा अपने अन्य दो साथियों के साथ मिलकर सिक्का कर्णम सोसायटी के रोड के किनारे सैक्टर 143 के पास लडकी से मोबाइल फोन ओपो कम्पनी एजी मॉडल सफायर, ग्रीन कलर छीना था जिसके सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर मु.अ.स. 699/2020 धारा 392 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

ललित पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी गांव जैतपुर थाना ककोड जिला बुलन्दशहर।

अभियोगों का विवरण-

1.मु.अ.स. 699/20 धारा 392,411 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

2.मु.अ.स. 700/2020 धारा 25(1-बी)(बी) शस्त्र अधि० थाना सूरजपुर।

बरामदगी विवरण-

- 1.मोबाइल फोन ओपो कम्पनी एजी मॉडल सफायर ग्रीन कलर
- 2.एक अवैध चाकू

5-थाना फेस-3 पुलिस व साइबर सेल टीम के संयुक्त प्रयास से आनलाईन फ्रॉड करने वाले चार शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 मोबाइल फोन 05 लैपटाप व 12 डेबिट कार्ड, 4 आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड, 2 इंटरनेट डोगंल, 2 चैक बुक, 2 एप्पल वाच व कुल 1762700/-रुपये बरामद।

दिनांक 23.09.2020 को थाना फेस 3 पुलिस व साइबर सेल टीम के संयुक्त प्रयास से 04 शातिर अभियुक्तगण 1. अंकित रमोला पुत्र मेघचन्द रमोला नि० म०नं० 79 फ्लैट नं० 9 द्वितीय तल साउथ गणेश नगर थाना पाण्डव नगर दिल्ली 2. हर्षित रमोला पुत्र मेघ चंद रमोला निवासी मकान 79 फ्लैट नंबर 9 द्वितीय फ्लोर साउथ गणेश नगर दिल्ली 3. आकाश वंसल पुत्र हरीश वंसल नि० आई 604 एल्फा 2 थाना बीटा 2 ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर 4. आकाश कंसल पुत्र अंकुर राज कंसल नि० मं० नं० 162 मोहन नगर कालोनी गली नं. 3 पिलखुआ थाना पिलखुआ जनपद हापुड को सेक्टर 100 से गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से 10 मोबाइल फोन, 05 लैपटाप व 12 डेबिट कार्ड , 4 आधार कार्ड, 3 पैन कार्ड, 2 इंटरनेट डोगंल, 2 चैक बुक, 2 एप्पल वाच व कुल 1762700/- रुपये बरामद किये गये है।

अभियुक्तगण द्वारा फर्जी वेबसाइट तैयार कर उस पर सस्ते दामो में मोबाइल फोन व अन्य इलैक्ट्रॉनिक सामान बेचकर फ्रॉड किया जाता था । अभियुक्तगण द्वारा निम्बस कम्पनी के सर्वर को हैक करके भी ऐसा फ्रॉड किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना फेस 3 पर मु०अ०स० 610/2020 धारा 420 भादवि व 66 आईटीएक्ट पंजीकृत है । अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है जो आनलाईन फ्रॉड करते है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. अंकित रमोला पुत्र मेघचन्द रमोला नि० म०नं० 79 फ्लैट नं० 9 द्वितीय तल साउथ गणेश नगर थाना पाण्डव नगर दिल्ली
2. हर्षित रमोला पुत्र मेघ चंद रमोला निवासी मकान 79 फ्लैट नंबर 9 द्वितीय फ्लोर साउथ गणेश नगर दिल्ली

3. आकाश वंसल पुत्र हरीश वंसल नि0 आई 604 एल्फा 2 थाना बीटा 2 ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर

4. आकाश कंसल पुत्र अंकुर राज कंसल नि0 मं0 नं0 162 मोहन नगर कालोनी गली नं. 3 पिलखुआ थाना पिलखुआ जनपद हापुड

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 610/2020 धारा 420 भादवि व 66 आईटी एक्ट थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1. 10 मोबाइल फोन
2. 05 लैपटाप
3. 12 डेबिट कार्ड
4. 04 आधार कार्ड
5. 03 पैन कार्ड
6. 02 इंटरनेट डोगल
7. 02 चैक बुक
8. 02 एप्पल वाच
9. कुल 1762700/- रुपये बरामद



प्रेस विज्ञप्ति

जनपद गौतमबुद्धनगर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के उपरान्त माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर/माफियाओं एवं आपराधियों तथा उनके सहयोगियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 की धारा 14 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध से अर्जित अचल सम्पत्तियों को कुर्क किया गया है।

दिनांक 24.09.2020 को सुन्दर भाटी गैंग (गैंग पंजीकृत संख्या डी-11) के सक्रिय सदस्य सत्यवीर उर्फ सतवीर बंसल पुत्र किशन लाल निवासी ग्राम घंघोला थाना कासना जनपद गौतमबुद्धनगर की गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए अपराध से अर्जित जमीन 3.0186 हैक्टेयर अनुमानित मूल्य 04 करोड़ की अचल सम्पत्तियों को कुर्क किया गया है।

पूर्व से लेकर अभी तक अनिल दुजाना गैंग व सुन्दर भाटी गैंग के सक्रिय सदस्यों पर कार्यवाही के दौरान लगभग 40 करोड़ रुपये की सम्पत्ति को कुर्क किया जा चुका है।

कमिश्नरेट प्रणाली के अन्तर्गत गैंगस्टर अधिनियम के तहत श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा सम्पत्ति कुर्क की कार्यवाही की गयी है। जो भविष्य में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों/माफियाओं के विरुद्ध जारी रहेगी।





पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के आदेशानुसार सत्यवीर /
सतवीर / सतवीर बंसल पुत्र किशन लाल निवासी ग्राम
घघोला थाना कासना जंतपद गौतमबुद्धनगर की ग्राम
जाफराबाद गलौली, लोनी, जंतपद गाजियाबाद के खाता
संख्या 58 स्थित 0.2529 हेक्टर भूमि मु.अ.सं.
336/19 गैजस्टर एक्ट 14(1) के तहत कुर्क की
जाती है।

आदेश द्वारा
पुलिस आयुक्त
गौतमबुद्धनगर



पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के आदेशानुसार सत्यवीर / सतवीर /
सतवीर बंसल पुत्र किशन लाल निवासी ग्राम घघोला थाना
कासना जंतपद गौतमबुद्धनगर की ग्राम जाफराबाद गलौली,
लोनी, जंतपद गाजियाबाद के खाता संख्या 431 स्थित 0.3481
हेक्टर भूमि मु.अ.सं. 336/19 गैजस्टर एक्ट 14(1) के तहत
कुर्क की जाती है।

आदेश द्वारा
पुलिस आयुक्त
गौतमबुद्धनगर